तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW
क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

दूरभाष : ०५२२-२७२२
Phone : 0522-2722

सन्दर्भ सं०
Ref. No. 4800/NOC-824B/17

दिनांक
Dated : 18/7/

सेवा में,

मै0 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0,
द्वारा–श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह,
गाटा सं0–179, ग्राम–भीखरपुर, हैदरगढ रोड, तहसील–रामसनेहीघाट,
बाराबंकी

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जोकि इस कार्यालय में दिनांक 09/03/17 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र, अभिलेखों में दी गयी सूचनाओं के आधार के आधार पर आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया। आपके प्रस्तावित स्थल गाटा सं0–179, ग्राम–भीखरपुर, हैदरगढ रोड, तहसील–रामसनेहीघाट, जिला–बाराबंकी पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) पम्प स्थापित किये जाने हेतु पर्यावर्णीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता हैः–

1. उद्योग की स्थापना का कार्य आवेदन पत्र में वर्णित स्थल पर ही किया जायेगा तथा प्रस्तावनुसार डीजल (एच0एस0 डी0 टैंक क्षमता)–20 किली0, पेट्रोल (एम0एस0 टैंक क्षमता)–15 किली0 का भण्डारण भूमिगत सुरक्षित स्टील टैकों में किया जायेगा तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 से आपूर्ति मशीनों के माध्यम से ईधन की बिक्री करेगा।
2. घरेलू जल/मल के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना इकाई के संचालन से पूर्व करना सुनिश्चित किया जाये।
3. आकस्मिक दुर्घटना/आग से निपटने हेतु कारखाना विभाग की गाइड लाइन्स के अनुरूप समुचित सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाये तथा अनुमोदित प्रस्ताव की छायाप्रति तीन माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. डी0जी0 सेट स्थापित नहीं किया जायेगा।
5. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी द्वारा निर्गत पत्र संख्या–सीएफओ–बीबीके/पी–12/ 2016 दिनांक 26.11.2016 में दिये गये अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. परीक्षण उत्पादन से पूर्व नियमानुसार जल/वायु अधिनियम के अनुपालन में बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायें।
7. इकाई में यथा सम्भव खाली स्थान पर त्वरित गति से बढने वाले पौधों का रोपड़ कर हरितपटिटका विकसित की जाये।
8. वर्षा जल संचयन हेतु रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्थापित की जाये।
9. पेट्रोल पम्प में डीजल व पेट्रोल की भण्डारण क्षमता में वृद्धि किये जाने एवं पेट्रोल पम्प का विस्तार किये जाने की दशा में बोर्ड से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
10. लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर 01 माह में प्रस्तुत करें।
11. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत भू–प्रयोग प्रमाण पत्र 01 माह में प्रस्तुत करें।
12. वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर 01 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. यह आदेश निर्गमन तिथि से अगले 01 वर्ष हेतु विधि मान्य होगा।

उपरोक्त शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी